कार्यालय नगर निगम देहरादून
(अल्पकालीन ई–निविदा)

नगर निगम, देहरादून द्वारा देहरादून नगर क्षेत्र से रोड़ स्वीपिंग, नाले/नालियों की सफाई उपरान्त निकलने वाले ठोस अपशिष्ट को उठाकर सुनिश्चित स्थान तक पहुंचाने हेतु टू–बिड के आधार पर अल्पकालीन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा पोर्टल उत्तराखण्ड **www.uktenders.gov.in** मे दिनांक 08.05.2023 को सांय 05:00 बजे तक जमा की जा सकती है। निविदा कमेटी के समक्ष दिनांक 09.05.2023 की पूर्वाहन 11:00 बजे खोली जायेगी।

नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(का0– 0135–2714074:फैक्स– 0135–2651060: ई–मेल– (nagarnigam.ddn@gmail.com)

पत्रांकः 2763 CH) दिनांकः 29/04/23

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक, द पाईनियर, समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के देहरादून संस्करण में आगामी अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क बिल के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करे।
2. सम्पादक, राष्ट्रीय सहारा, समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के देहरादून संस्करण में आगामी अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क बिल के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करे।
3. श्री मनीष पन्त आई0 टी0 आफिसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त अल्पकालीन ई–निविदा की सूचना को ई–निविदा पोर्टल उत्तराखण्ड **www.uktenders.gov.in** नगर निगम, देहरादून की बैबसाइट में डालना सुनिश्चित करें।
4. नगर निगम, देहरादून नोटिस बोर्ड पर चश्पा हेतु।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम देहरादून।

Signature Not Verified
Digitally signed by MANISH PANT
Date: .. :: IST
Location: Uttarakhand-UT

AnyScanner

अल्प कालीन ई–निविदा दस्तावेज

1	अल्प कालीन ई–निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथि एवं समय	• अल्प कालीन ई–निविदा प्रकाशित करने की तिथि 29 / 04 / 2023 को समय 5:00 सायं बजे तक। • अल्प कालीन ई–निविदा अपलोड करने की तिथि 29 / 04 / 2023 को समय 5:30 सायं बजे तक। • अल्प कालीन ई–निविदा डाउनलोड की अन्तिम तिथि 8 / 05 / 2023 को समय 02:00 अपराहन बजे तक। • अल्प कालीन ई–निविदा डालने की अन्तिम तिथि 8 / 05 / 2023 को समय 05:00 सायं बजे तक। • अल्प कालीन ई–निविदा खोलने की तिथि 9 / 05 / 2023 को समय 11:00 पूर्वाहन बजे ।
2	कार्य का नाम / विवरण	• नगर क्षेत्र में रोड़ स्वीपिंग, नाले / नालियों की सफाई उपरान्त निकलने वाले कूड़े को ट्रांस्पोटेशन के माध्यम से निगम द्वारा निर्धारित स्थान तक पहुंचाने हेतु ई–निविदा।
3	निविदा हेतु पात्रता / अर्हता	• निविदादाता फर्म / पते का प्रमाण पत्र संलग्न। • निविदादाता फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। निविदादाता का किसी भी सरकारी विभाग / नगर निकाय में पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण 03 माह पूर्व का होना अनिवार्य है। • निविदादाता के पास पेन कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है। • निविदादाता फर्म किसी संस्था से ब्लैक लिस्टेड न हो, का शपथ पत्र (रू0 100 के स्टाम्प पर) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। • निविदादाता फर्म को न्यूनतम 01 वर्षो का सम्बन्धित कार्य का (अपशिष्ट के द्वितीयक परिवहन का संचालन अथवा डम्पर एवं लोडर आदि द्वारा अपशिष्ट / मलबा सिल्ट / इत्यादि का ढुलान / परिवहन) का किसी भी सरकारी / नगर निकाय में अनुभव के आवश्यक प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। • निविदादाता फर्म के विरूद्ध कोई कानूनी विवाद नहीं है, का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। • निविदादाता फर्म द्वारा विगत 03 वित्तीय वर्षो का औसत टर्न ओवर 2.5 करोड़ होना आवश्यक है, जो कि सी0ए0 द्वारा प्रमाणित हो, संलग्न करना अनिवार्य है। • निविदादाता फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का आयकर रिर्टन संलग्न करना अनिवार्य है।
4	**स्कोप** ऑफ वर्क	1. नगर निगम के समस्त 100 वार्डो क्षेत्रों में एकत्रित कूड़े को प्रतिदिन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ले जाया

डॉ0 अविनाश खन्ना
मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

AnyScanner

जायेगा।

2. परिवहन के लिए निम्न वर्ग के अपशिष्ट निस्तारण किया जाना हैः–
    - जी0वी0पी0 का कचरा (Garbage vulernable points)
    - रोड़ स्वीपिंग से एकत्रित अपशिष्ट
    - नालों की सफाई के दौरान एकत्रित सिल्ट
    - हॉर्टिकल्चर अपशिष्ट
    - अन्य निर्धारित अपशिष्ट
3. कूडे का परिवहन प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सांय 6 बजे तक किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में कूडे की गाडी (ट्रैक्टर ट्राली) का परिवहन रात्रि के समय नगर निगम की अनुमति से किया जायेगा।
4. ट्राली का साईज निविदा की शर्तों के अनुसार 10x6x3 होना आवश्यक है तथा प्रत्येक वाहन पर जी0पी0एस0 सिस्टम कार्यरत अवस्था में होगा अनिवार्य है तथा इनकी ए0पी0आई0 नगर निगम, देहरादून को मॉनिटरिंग हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता फर्म के वाहनों का इन्श्योरेन्स, पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र इत्यादि का दायित्व स्वयं का होगा।
6. ट्रैक्टर ट्राली के संचालन हेतु यातायात/ परिवहन/ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो वह निविदादाता फर्म को स्वंय प्राप्त करने होंगे।
7. निविदा पाने वाली फर्म कार्य को उप विभाजन (सबलेट) करने की छूट नहीं होगी/पाये जाने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
8. वाहनों में किसी प्रकार की टूट–फूट होने पर मरम्मत का कार्य फर्म को स्वंय वहन करना होगा।
9. कार्य का समय रात्री/दिवस, नगर निगम, देहरादून द्वारा निर्धारित किया जायेगा। उक्त कार्य अवकाश दिवस में भी संचालित किया जायेगा।
10. स्वीकृत निविदादाता फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ट्रैक्टर ट्राली में सी0&डी0 वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई–वेस्ट प्रकार की वस्तुयें का परिवहन नहीं किया जायेगा अन्यथा कि स्थिति में उक्त हेतु निर्धारित अधिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। (साथ ही ट्रैक्टर ट्राली में उक्त प्रकार के कूड़े की मात्रा पायी जाती है तो ट्राली को अमान्य कर भुगतान नहीं किया जायेगा)
11. कूड़े का परिवहन नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के अनुसार बन्द वाहनों / पूर्ण रूप से ढक कर करना अनिवार्य है। किसी भी दशा में कूड़े का परिवहन खुले रूप में नहीं किया जायेगा, उलंघन करने पर निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

डॉ0 अविनाश खन्ना
मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

AnyScanner

		की जायेगी। 12. निस्तारण करते समय ट्राली को ढक कर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर ले जाना अनिवार्य है। 13. सफल निविदादाता द्वारा नगर निगम की शर्तों पर कार्य करेगा तथा उपलब्ध कराये गये सफाई मजदूरों से कूड़ा एकत्रित कराकर निगम द्वारा सुनिश्चित स्थान में प्रतिदिन निस्तारण करायेगा। सफल निविदादाता द्वारा को ट्रैक्टर–ट्राली के द्वारा प्रतिदिन 03 फेरे पूरी उंचाई तक भर कर ले जाने होगें, 03 से कम फेरे लगाने पर समानुपातिक कटौती की जायेगी। यदि निगम द्वारा सफाई व्यवस्था के लिए अतिरिक्त फेरे लगवाये जाते है तो उसके लिए समानुपातिक भुगतान किया जायेगा। 14. निस्तारण के समय विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट जैसे की सिल्ट, ठोस कचरा, बायो मेडिकल वेस्ट, गीले कचरा इत्यादि का मिलान करना बाधित है। सफल निविदादाता को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है। 15. उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में लगाये जाने वाले मानव संसाधन के व्यवहार एवं पोशाक की व्यवस्था निविधाधाता द्वारा सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा। 16. कुल ट्रैक्टरों की संख्या–35 (+/–20%) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निगम द्वारा अपरिर्हाय स्थिति में आवश्कतानुसार अतिरिक्त ट्रैक्टर–ट्राली की जरूरत पड़ने पर अल्प समय हेतु ट्रैक्टर–ट्राली सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 17. सफल निविदादाता द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपलब्ध ट्रैक्टर–ट्राली के ड्राईवरों को ट्रैफिंक नियमों का पालन एवं गतिसीमा के अन्तर्गत ही ट्रैक्टर–ट्राली चलानी है। उक्त नियमों के उल्लंघन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदादाता फर्म की होगी। 18. सफल निविदादाता को अपने वाहनों की मरम्मत, सिर्विस, ईधन, चालक, इन्श्योरेन्स, व्यवसायिक पंजीकरण, जी0पी0एस0 आदि पर होने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा तथा ट्रैक्टर–ट्राली के खराब होने अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर तत्काल अन्य ट्रैक्टर–ट्राली की व्यवस्था की जायेगी, जिसके लिए प्रथम पक्ष इन कार्यो के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
5	ई–निविदा शुल्क	• ई–निविदा फार्म शुल्क रू0 5000+900जी0एस0टी0 18%, कुल 5900/– रू0 जी0एस0टी0 सहित
6	धरोहर राशि	• निविदा हेतु धरोहर राशि रू0 8,00,000/–(आठ लाख रूपये मात्र) की एफ0डी0 आर0/सी0डी0आर0/डी0डी0 जो वित्त नियंत्रक, नगर निगम, देहरादून के नाम बंधक हो संलग्न करना अनिवार्य है। • धरोहर राशि/निविदा शुल्क सम्बन्धी एफ0डी0 आर0

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

AnyScanner

		/सी0डी0आर0/डी0डी0 की हार्ड कॉपी शील बन्द लिफाफे में स्वास्थ्य अनुभाग में निविदा डालने की अन्तिम तिथि तक जमा करना अनिवार्य है। धरोहर राशि /निविदा शुल्क प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
7	कार्यपूर्ति प्रतिभूति	• अनुबंध के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदादाता फर्म जिसके पक्ष में अनुबंध दिया गया हो, से कार्यपूर्ति प्रतिभूति ली जायेगी। अनुबंध में निहित धनराशि के मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यपूर्ति अनुबंध मूल्य के 5 प्रतिशत होगी, कार्यपूर्ति प्रतिभूति वाणिज्य बैंक से निर्गत आदाता के नाम डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारन्टी के मूल्य में निविदा प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। • कार्यपूर्ति धरोहर निविदा दाताओं के संविदा से सम्बन्धित सभी दायित्व सम्मिलित है। कार्य अवधि पूर्ण होने के दिवस से 60 दिवस तक वैध होना आवश्यक है। • सफल निविदादाता द्वारा कार्यपूर्ति प्रतिभूति धरोहर प्रस्तुत करने के बाद उसकी निविदा धरोहर वापस कर दी जायेगी।
8	निविदा विधि	• ई–निविदा हेतु दो प्रस्ताव प्रणाली आमंत्रित की जा रही है, जिसमें प्रस्ताव–एक में निविदा से सम्बन्धित दस्तावेज/शपथ पत्र/धरोहर राशि/टेण्डर फीस एवं कार्य से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराये जायेंगे। एवं प्रस्ताव–दो में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा जो कि ई–निविदा पोर्टल के अनुसार होगा। निविदा की तकनीकी दस्तावेजो की हार्ड कॉपी निविदा डालने की अंतिम तिथि तक नगर निगम , देहरादून मे जमा कराना अनिवार्य है।
9	वित्तीय प्रस्ताव	• ई–निविदा प्रक्रिया में उक्त कार्य हेतु वित्त प्रस्ताव के अनुसार दरें प्रस्तुत की जायेंगी। • न्यूनतम दरें के आधार निविदादाता फर्म का चयन किया जायेगा। • निविदा हेतु पात्रता/अर्हता में सफल निविदादाताओं का वित्तीय बिड खोली जायेगी।
10	भुगतान प्रक्रिया	• प्रत्येक माह कार्य के उपरान्त बिल प्रस्तुत करने पर अगले माह के 15 दिवसों में भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। • नगर निगम द्वारा निविदा दाता के साथ अनुबंध की शर्तो के अनुसार भुगतान किया जायेगा। • नगर निगम स्तर पर अपरिहार्य कारणों से भुगतान में विलम्ब होने पर निविदादाता द्वारा कार्य नहीं रोका

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

AnyScanner

		• भुगतान जी0पी0एस0 सिस्टम प्रणाली के सत्यापन के उपरान्त ही किया जायेगा। • तकनीकि कारणों से भुगतान में विलम्ब होने पर फर्म द्वारा कारणों के निस्तारण किये जाने के बाद शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
11	पैनल्टी	• कार्य आदेश/अनुबंध का निरन्तर उलंघन करने पर समानुपातिक रूप से कटौती की जायेगी अथवा अनुबंध निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है। • ट्रैक्टर ट्राली से कूड़े का परिवहन यदि खुले/बिना ढके पाया गया तो प्रति फेरे रू0 500/– का अर्थदण्ड वसूला जायेगा। • ट्रैक्टर ट्राली में कूड़े की ढुलाव की मात्रा कम पायी जाती है तो ट्राली को अमान्य कर भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रति फेरे रू0 500/– का अर्थदण्ड वसूला जायेगा।
12	विवाद की स्थिति	• फर्म तथा नगर निगम के मध्य कोई विवाद होने पर उसका निपटारा नगर निगम स्तर पर किया जायेगा। • किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।
13	निविदा स्वीकार/ स्वीकृति	• किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून के पास सुरक्षित है। यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम अथवा अन्य निविदा स्वीकार ही की जाये। • दरें स्वीकृत होने पर निविदादाता को कार्य करने से पूर्व 100/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
14	क्षतिपूर्ति	• किसी भी कारणवश वाहन से आकस्मिक घटना/ दुर्घटना घटित होने पर पूर्ण जिम्मेदारी/ जबाबदेही सफल निविदादाता फर्म की होगी। • निविदा प्राधिकारी कार्यालय से किसी भी वाहन/व्यक्ति की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जायेगा।
15	कार्य आदेश	• यदि सफल निविदादाता फर्म द्वारा अनुबंध/कार्य आदेश के बाद निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करता अथवा संतोष जनक रूप से कार्य नहीं करता अथवा शर्तो का उलंघन करता है तो निविदादाता की धरोहर राशि जब्त करते हुए उसका अनुबंध एवं निविदा को निरस्त किया जायेगा अथवा फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
16	कार्य अवधि	• उक्त कार्य की अवधि 01 वर्ष होगी तथा कार्य की त्रिमासिक समीक्षा की जायेगी, कार्य संतोष जनक पाये

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

AnyScanner

		जाने पर समिति की सहमति/संस्तुति से कार्य अवधि/अनुबंध को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
17	विलम्ब से प्राप्त निविदा	• देर से प्राप्त (निर्धारित तिथि एवं समय के बाद) निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
18	समीक्षा समिति	• नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून की अध्यक्षता में निम्नानुसार उक्त कार्य की समीक्षा हेतु समिति गठित की जायेगी • नगर आयुक्त/नामित अधिकारी–अध्यक्ष • मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी–सदस्य • वित्त नियंत्रक–सदस्य • अधिशासी अभियन्ता–सदस्य
19	ई–निविदा का प्रकाशन	• ई–निविदा उत्तराखण्ड ई–निविदा पोर्टल www.uktenders.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा, इसके साथ नगर निगम की बेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध रहेगा। • ई–निविदा प्रक्रिया में विस्तार एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की दशा में ई–निविदा पोर्टल पर शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जायेगा। • निविदा ई–प्रोक्यूरमेंट पोंटल से प्राप्त की जायेंगी।
20	निविदा की अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र	• डॉ– अविनाश खन्ना, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून। मेबाइल न0 – 9412142022

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

AnyScanner